

## समाहरणालय बेगूसराय

(जिला राजस्व शाखा)

डाक बंदोवस्ती सूचना


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि बेगूसराय जिलान्तर्गत विभिन्न अंचलों में पडने वाले हाट/घाट एवं बस पड़ाव सैरातों की वित्तीय वर्ष 2014-2015 के शेष अवधि के लिए बंदोवस्ती खुली डाक द्वारा जिला स्तर पर की जायेगी। स्वीकृत्यादेश की प्रत्याशा में अनुशंसित सुरक्षित जमा पर डाक बंदोवस्ती की कार्यवाही की जा रही है, किन्तु अनुशंसित सुरक्षित जमा में किसी प्रकार का संशोधन होता है तो वह लेसी को स्वीकार करना होगा।

क्र०	अंचल का नाम	सैरात का नाम	प्रस्तावित सुरक्षित जमा	जमानत की राशि	नीलामी का स्थान (सभी सैरातों के लिए)	बंदोवस्ती की तिथि (सभी सैरातों के लिए)
1	चे० वरियारपुर	मंझौल बस पड़ाव	1642545.00	41063336.00	कारगिल विजय सभा भवन समाहरणालय, बेगूसराय	प्रथम तिथि <del>22/05</del> को पूर्वाह्न 12:30 बजे। उस दिन डाक बंदोवस्ती नहीं हो पाने की स्थिति में अगली तिथि <del>23/05</del> को पूर्वाह्न 12:00 बजे। उस दिन भी डाक नहीं हो पाने की स्थिति में अगली तिथि <del>24/05</del> को पूर्वाह्न 12:30 बजे
2	चे० वरियारपुर	कोरजाना घाट	239373.00	59843.00		
3	चे० वरियारपुर	विक्रमपुर घाट	249550.00	62388.00		
4	सा० कमाल	कुरहा घाट	367046.00	91762.00		
5	सा० कमाल	मल्हीपुर घाट	96371.00	24093.00		
6	मटिहानी	चाक घाट, महेन्द्रपुर वागडोभ	103500.00	25875.00		
7	मटिहानी	रामपुर हाट	63927.00	15982.00		
8	बलिया	कोहवा घाट सहवेगपुर घाट नौरंगा घाट हुसैना घाट	117300.00	29325.00		

### डाक की शर्तें

1. डाक प्रारम्भ होने के पूर्व संरक्षित जमा राशि का 25 प्रतिशत राशि अग्रधन के रूप में जिला नजारत, बेगूसराय में जमा करना होगा।
2. यदि पूर्व के बन्दोवस्तदार डाक में भाग लेते हैं तो पूर्व का बकाया रहित प्रमाण-पत्र संबंधित अंचल अधिकारी से प्राप्त कर डाक के समय समर्पित करना होगा।

- 3 डाक समाप्ति के पश्चात सफल डाक वक्ता को नियमानुसार उच्चतम डाक की सम्पूर्ण राशि एवं मुद्रांक/निबंधन शुल्क डाक समाप्ति के तुरंत बाद जमा करना होगा, अन्यथा अग्रधन की राशि जप्त कर लिया जायेगा।
4. उच्चतम डाकवक्ता को निर्धारित सरकारी दर पर ही टॉल वसूली का अधिकार होगा। अगर इस दर निर्धारण के चलते समाहर्ता मंहसूस करें कि राशि बढ़ायी जाय तो वह बन्दोवस्तदार को मान्य होगा और वह बढ़े हुए राशि देने के लिए बाध्य होगा।  
उपर्युक्त वर्णित सैरातों की बन्दोवस्ती बिना कारण बताये स्थगित/निलंबित तथा रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।

  
५/१/१५.  
समाहर्ता, बेगूसराय।

7